

# मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

“चयन भवन”, मेन रोड नं.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

## प्री-पी.जी. परीक्षा-2010

### संशोधन

चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, म0प्र0 शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-4-1/2010/1/56, दिनांक 28.01.2010, पत्र क्रमांक-एफ-4-1/2010/1/55 दिनांक 18.01.2010 एवं पृ0 क्रमांक 101/4/पीजी/10, भोपाल दिनांक 19.01.2010 के अनुसार म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा प्री-पी.जी. परीक्षा-2010 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 50/2010 (11.01.2010 को प्रकाशित) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।

2. प्री-पी.जी.-2010 की प्रवेश परीक्षा सिर्फ मध्यप्रदेश स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है ।

3. पूर्व में जारी विज्ञापन में नियम 8(4) अनुसार 25 प्रतिशत उपाधि तथा पत्रोपाधि का स्थान म0प्र0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सेवारत चिकित्सा अधिकारी के लिए आरक्षित करने की सूचना दी गई थी । अब संशोधित नियमानुसार यह 25 प्रतिशत स्थान म0प्र0 शासन के किसी भी विभाग में सेवारत चिकित्सा अधिकारी के लिए आरक्षित किया गया है ।

4. पूर्व में प्राप्त प्री-पी.जी. नियम-2010 के नियम-17 के उप नियम (तीन) में अंकित था कि “प्रोस्थोडॉण्टिक्स” में एक सीट आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित है । प्राप्त संशोधन अनुसार यह सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित है ।

5. अब प्री-पी.जी. प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्रों के विक्रय की अंतिम तिथि 06.02.2010 तक बढ़ाई जाती है । आवेदन पत्र की मण्डल कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 10.02.2010 की जाती है ।

6. पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 50/2010 प्रकाशित दिनांक 11.01.2010 में अंकित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।